



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

द्वितीय निविदा सूचना

क्रमांक 03/03/2017/भण्डार

इंदौर, दिनांक :— 24/02/2018

म.प्र. लोक सेवा आयोग में आमंत्रित विषय—विशेषज्ञों हेतु पैकड लंच/ब्रुन्च एवं पैकड ब्रेक फारस्ट की व्यवस्था हेतु द्वि-निविदा प्रणाली से निविदा आमंत्रित की जाती है। टेन्डर आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com पर उपलब्ध है। निविदा का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :—

सं. क्र.	कार्य का विवरण	अर्नेस्ट मनी	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि
1	म.प्र. लोक सेवा आयोग में आमंत्रित विषय—विशेषज्ञों हेतु पैकड लंच/ब्रुन्च एवं पैकड ब्रेक फारस्ट की व्यवस्था करने हेतु	60,000/-	500/-	कार्यादेश दिनांक से एक वर्ष के लिए

टीप :—

निविदा प्रपत्र दिनांक 24.02.2018 से आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com से डाउनलोड किये जा सकते हैं। निविदा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 05.03.2018 को सायंकाल 05:00 बजे तक है। विस्तृत निविदा तथा अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। विधिवत भरे निविदा दस्तावेज दिनांक 05.03.2018 को समय सायंकाल 05:00 बजे तक निविदा प्रपत्र (Bid form) हार्ड कॉपी में आयोग कार्यालय की आवक शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा।

अवर सचिव (प्रशासन),
म.प्र. लोक सेवा आयोग
इंदौर



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी एरिया, डेली कॉलेज रोड, इन्दौर

दूरभाषः— 2701624, 2701983, Fax :- 2701079, 2700406

निविदा शर्ते

म.प्र. लोक सेवा आयोग में आमंत्रित विषय—विशेषज्ञों हेतु पैकड लंच/बुंच एवं पैकड ब्रेक फास्ट की व्यवस्था हेतु द्वि—निविदा प्रणाली से सील बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। टेन्डर आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com पर उपलब्ध है। निविदा का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :—

सं. क्र.	कार्य का विवरण	अर्नेस्ट मनी	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि
1	म.प्र. लोक सेवा आयोग में आमंत्रित विषय—विशेषज्ञों हेतु पैकड लंच/बुंच एवं पैकड ब्रेक फास्ट की व्यवस्था करने हेतु	60,000/-	500/-	कार्यादेश दिनांक से एक वर्ष के लिए

2. विस्तृत निविदा प्रपत्र के साथ दिनांक 05.03.2018 को सांयकाल 05:00 बजे तक निविदा शुल्क रूपये 500/- (रूपये पौंच सौ मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक डापट्र जो कि सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पक्ष में देय हो संलग्न करना होगा। विस्तृत निविदा तथा अन्य जानकारी आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। नगद राशि स्वीकार नहीं की जावेगी अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी। किसी भी परिस्थिति में निविदा शुल्क वापस नहीं की जावेगी।

3. निविदाकर्ताओं के लिए अनुदेश :—

निविदा निम्नानुसार भरी जायेगी :—

- a) प्रथम लिफाफा—धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क (लिफाफे के उपर धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क स्पष्टतः लिखा जावें)
- b) द्वितीय लिफाफा—तकनीकी बिड (लिफाफे के उपर तकनीकी बिड स्पष्टतः लिखा जावें)
- c) तृतीय लिफाफा—वित्तीय बिड (लिफाफे के उपर वित्तीय बिड स्पष्टतः लिखा जावें)

तीनों लिफाफे एक बड़े सील बंद लिफाफे में रखें जायेंगे, जिस पर “म.प्र. लोक सेवा आयोग में आमंत्रित विषय—विशेषज्ञों हेतु पैकड लंच/बुंच एवं पैकड ब्रेक फास्ट की व्यवस्था हेतु निविदा” स्पष्ट रूप से लिखा जाये। लिफाफा “प्रति सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर” को प्रेषित किया जावे धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क सही पाई जाने पर ही तकनीकी बिड खोली जावेगी तथा धरोहर राशि/निविदा शुल्क नहीं पाई जाने/सही नहीं पाई जाने पर निविदा अमान्य की जावेगी।

- 3.1 बिड़ :- बिड़ दिनांक 05.03.2018 को सांयकाल 05:00 बजे तक आयोग की आवक शाखा में जमा करना होगी । बिड़ में 03 लिफाफे होंगे ।
- 3.2 प्रथम लिफाफा – प्रथम लिफाफे के साथ निविदा शुल्क रूपये 500/- (रूपये पॉच सौ मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट, जो कि सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर के पक्ष में देय हो तथा धरोहर राशि के रूप में रूपये 60,000/- (रु. साठ हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट जो कि सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर के पक्ष में देय हो संलग्न करना होगा । बिना उक्त निविदा शुल्क व धरोहर राशि के निविदा अमान्य कर दी जावेगी ।

3.3 द्वितीय लिफाफा –आयोग द्वारा निर्धारित तकनीकी प्रारूप प्रपत्र-1 में तकनीकी निविदा प्रस्ताव तथा चेकलिस्ट अनुसार हस्ताक्षर व पदमुद्रा सहित सबंधित समस्त दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र ।

3.4 तृतीय लिफाफा – आयोग द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रारूप प्रपत्र-5 में वित्तीय निविदा प्रस्ताव ।

4 चयन प्रक्रिया :-

- अ. आयोग द्वारा गठित तकनीकी समिति के सदस्यों एवं निविदाकर्ता अथवा निविदाकर्ता के प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 08.03.2018 को समय दोपहर 12.00 बजे निविदा खोली जायेगी ।
- ब. प्रथम लिफाफा खोले जाने के पश्चात् सही पाए जाने पर द्वितीय लिफाफा समिति के समक्ष खोला जावेगा ।
- स. द्वितीय लिफाफे अर्थात तकनीकी निविदा में अंकित प्रपत्र, प्रमाण पत्र, अभिलेख व आवश्यक अर्हता अनुसार सही पाये जाने पर तथा अर्ह पाये जाने पर आयोग द्वारा गठित दल द्वारा पात्र निविदाकारों के होटलों का निरीक्षण किया जावेगा एवं निरीक्षण दल द्वारा किचन की साफ-सफाई एवं भोजन की गुणवत्ता के आधार पर अंक दिये जायेंगे । निरीक्षण दल द्वारा दिये गये अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 05 निविदाकारों की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी ।
- द. वित्तीय निविदा में प्रपत्र-5 में अंकित दरों में प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर सफल निविदाकार का चयन किया जाएगा ।
- ई. निविदा के वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि पृथंक से तय की जायेगी, जिसकी सूचना सफल निविदाकारों को ई-मेल/दूरभाष/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रदान की जायेगी ।

5 संविदा की शर्तें तथा अपेक्षाओं की अनुसूची :-

- 5.1 वित्तीय निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की ओवर राईटिंग/कांट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी । अन्य प्रपत्रों में कांट छांट या ओवर रायटिंग होने पर हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा होना आवश्यक होगा ।
- 5.2 निविदा प्रपत्र तथा प्रमाण पत्र आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी । निविदा शर्तों के अनुसार अथवा संलग्न प्रारूप में नहीं भी होने पर अथवा अधूरे भरे हुये निविदा प्रपत्र मान्य नहीं किए जायेंगे । आयोग चाहे तो तकनीकी बिड़ में कोई अतिरिक्त दस्तावेज की मांग कर सकता है । यदि वह अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो निविदा अमान्य की जा सकेगी ।
- 5.3 यह निविदा प्रस्ताव निविदा खोलने की तिथि से 120 दिनों तक वैध रहेगा ।
- 5.4 निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् सफल निविदाकार को 07 दिवस के भीतर धरोहर राशि के रूप में 3.00 लाख (अक्षरी रूपये तीन लाख मात्र), जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में एफ.डी. के रूप में सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पक्ष में डेढ़ वर्ष के लिये जमा करना होगी व अनुबंध करना होगा । यह एफ.डी. वारंटी बाध्यताओं सहित आपूर्तिकर्ता की सभी संविदाकृत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख के बाद 60 दिन की अवधि तक के लिए वैध होना आवश्यक है । जब तक कि उसके लंबित बिलों का निपटान नहीं हो जाता तब तक के लिये आयोग के पास जमा रहेगी । इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा । यदि सफल निविदाकार उक्त शर्तों का पालन करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी एवं निविदा अमान्य कर दी जावेगी ।

- 5.5 यह अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए है। सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रथम एक वर्ष तक उपलब्ध करायी गयी सेवा संतोषप्रद होने की स्थिति में ही निविदा अवधि की निरंतरता की स्वीकृति पूर्व में आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर एक-एक वर्ष के लिए अधिकतम 03 बार अथवा आगामी निविदा होने तक बढ़ायी जा सकेगी। निविदा की शर्ते अनुबंध का अभिन्न अंग होगी। निविदा के नवीनीकरण की स्थिति में परफार्मेंस गारंटी का नवीनीकरण किया जाना होगा।
- 5.6 तकनीकी प्रस्ताव (बिड) के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को निविदाकर्ता द्वारा संस्था की पदमुद्रा सहित सत्यापित छायाप्रतियां प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी। सत्यापित प्रतिलिपियाँ असत्य पाये जाने पर संबंधित निविदाकर्ता की निविदा अमान्य कर उसकी परफार्मेंस गारंटी, धरोहर राशि राजसात कर ली जायेगी एवं संस्था को काली सूची (Black listed) में डालने की कार्यवाही भी की जाएगी।
- 5.7 विगत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17) के अंकेक्षित लेखों का संलग्न प्रारूप में सारांश, जिसमें लंच/ब्रुच एवं ब्रेक-फास्ट कार्य के तीन वर्षों का औसत न्यूनतम रूपये 50.00 लाख (अक्षरी रूपये पचास लाख मात्र) का टर्नओवर की राशि का हो, जिसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा किया गया हो।
- 5.8 सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एण्ड कॅस्टम बोर्ड का सर्विस टैक्स का वैध प्रमाण पत्र।
- 5.9 वाणिज्यिक कर विभाग का जी.एस.टी. का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
- 5.10 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम–2006 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जारी अनुज्ञाप्ति प्रमाण पत्र।
- 5.11 नगर निगम का होटल/रेस्टोरेन्ट संचालन सेवा का वैध लायसेंस।
- 5.12 संबंधित संस्थान/होटल/रेस्टोरेन्ट के पैन कार्ड की छायाप्रति।
- 5.13 विगत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) की आयकर विवरणी की पावती जो आयकर विभाग द्वारा जारी की गई हो की छायाप्रति। बैलेंस शीट व प्राफिट-लॉस अकाउंट की सी.ए. द्वारा सत्यापित प्रति।
- 5.14 निविदाकार संस्था को स्वयं का घोषणा पत्र देना होगा कि फर्म को विगत 03 वर्षों में किसी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड एवं उसकी संस्था पर किसी प्रकार का न्यायालयीन वाद तो नहीं है।
- 5.15 होटल/रेस्टोरेन्ट संचालन के लिए अन्य सभी वैधानिक प्रमाण पत्र एवं वैध लायसेंस।
- 5.16 शपथ पत्र प्रारूप–2 में।
- 5.17 अंकेक्षित लेखों का सारांश, प्रपत्र–3
- 5.18 निविदाकार संस्था को स्वयं का घोषणा पत्र देना होगा कि फर्म में विगत 03 वर्षों में किसी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं है एवं उसकी संस्था पर किसी प्रकार का न्यायालयीन वाद तो नहीं है। प्रपत्र–4
- 5.19 कलेक्टर द्वारा जारी गाईड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 5.20 आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी निविदा या उसके किसी अंश को या सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को किसी भी स्थिति में बगैर कोई कारण बताये रखित या निरस्त कर सके। आयोग की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य का संपादन न किये जाने पर आयोग किसी अन्य प्राधिकृत संस्था से कार्य का संपादन तात्कालिक रूप से कराने को स्वतंत्र होगा, परंतु ऐसी व्यवस्था में होने वाले व्ययों के भुगतान का उत्तरदायित्व सफल निविदाकार का होगा जो कि उसके देयक से वसूल किया जायेगा अथवा चालान या डी.डी. के माध्यम से वसूली योग्य होगा अथवा सुरक्षा निधि से वसूल किया जायेगा।
- 5.21 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 5.22 निविदा करने के पश्चात् कोई परिवर्तन या संशोधन मान्य नहीं होगा।
- 5.23 विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 5.24 निविदाकर्ता द्वारा बिड वापस नहीं ली जावेगी अन्यथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
- 5.25 वित्तीय निविदा समस्त दरों व करों सहित भरी जावेगी पृथक से कोई चार्जेस देय नहीं होंगे।

- 5.26 निविदा संबंधी समाधान के लिए अनुभाग अधिकारी (भण्डार) से सम्पर्क किया जा सकता है ।
- 5.27 अनिवार्य रूप से चाहे गए प्रपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।
- 5.28 होटल/रेस्टोरेन्ट के संचालक द्वारा अथवा जिनके नाम से अनुज्ञाप्ति जारी है अथवा जिनके नाम से पॉवर ऑफ अटर्नी हो उन्हीं के द्वारा निविदा भरी जावेगी ।
- 5.29 नियमानुसार करों का कटौत्रा किया जावेगा ।

- 6. दण्डात्मक निर्देश :-** निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र व अनुबंध में दर्शित शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अथवा निर्धारित सेवाओं का प्रदाय न किये जाने पर अथवा सेवाएँ निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप न पाये जाने पर अथवा आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर आयोग द्वारा निविदाकर्ता पर निम्न कार्यवाही की जा सकेगी :—

- a) रु. न्यूनतम 2000 से अधिकतम 10,000/- तक का दण्ड अधिरोपण ।
- b) अनुबंध निरस्त करना तथा परफारमेंस गारंटी राजसात करना ।
- c) ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही करना ।

दण्ड अधिरोपित किये जाने के पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जावेगा ।

दण्ड और क्षतिपूर्ति की राशि देयक से वसूल की जावेगी अथवा चालान/डी.डी. के माध्यम से वसूल की जावेगी अथवा परफार्मेंस गारंटी की जमा राशि से काट ली जावेगी, जिसकी प्रतिपूर्ति 15 दिवस के अन्दर करना होगी ।

- d) वर्ष में 10 बार से अधिक दण्ड अधिरोपित किये जाने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जा सकेगी :—
 - 1. अनुबंध निरस्त करना तथा परफारमेंस गारंटी राजसात करना ।
 - 2. ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही करना ।

7. भुगतान प्रक्रिया :-

- 7.1 सफल निविदाकर्ता को भुगतान प्रति माह ई-पेमेंट के माध्यम से किया जायेगा । देयक का सत्यापन आयोग के दिशा-निर्देशों की प्रक्रिया अनुरूप किया जावेगा ।
- 7.2 नियमानुसार TDS कटौत्रा किया जावेगा ।
- 7.3 किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा ।
- 7.4 भुगतान प्रक्रिया आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जावेगी ।

8. निविदा चयन का आधार :-

न्यूनतम दरें निर्धारित करने का आधार वित्तीय प्रपत्र में सरल क्रमांक-05 में न्यूनतम प्राप्त दर होगी । न्यूनतम वित्तीय निविदा मान्य की जावेगी ।

9. विवाद का निपटारा :-

- 9.1 विवाद की स्थिति में सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर का निर्णय अंतिम व बंधनकारी रहेगा व न्याय क्षेत्र इन्दौर होगा ।
- 9.2 परिणामी संविदा की व्याख्या भारतीय कानून के तहत की जावेगी ।
- 9.3 किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में निष्पक्ष आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का अधिकार सचिव, लोक सेवा आयोग का होगा ।

med
अवर सचिव (प्रशासन)
म.प्र. लोक सेवा आयोग
MJ इन्दौर

चेक लिस्ट

संक्र.	विवरण	संलग्न है या नहीं	पृष्ठ क्रमांक
01	निविदा प्रस्ताव—प्रथम लिफाफे में निम्नानुसार रखा जावें :— 1. निविदा शुल्क रसीद 2. धरोहर राशि		
02	निविदा प्रस्ताव—द्वितीय लिफाफा में निम्नानुसार रखा जावें 1. संविदा प्रपत्र (निर्धारित प्रारूप में)–1 2. तकनीकी बिड प्रपत्र–5		
03	निम्नानुसार प्रपत्र, प्रमाण पत्र व अभिलेख (कंडिका–5)		
5.7	विगत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17) के अंकेक्षित लेखों का संलग्न प्रारूप में सारांश जिसमें लंच/ब्रुच एवं ब्रेक फास्ट कार्य के तीन वर्षों का औसत न्यूनतम रूपये 50.00 लाख का टर्नओवर की राशि का प्रमाणीकरण चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा किया गया हो।		
5.8	सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एण्ड कॉस्टम बोर्ड का सर्विस टैक्स का वैध प्रमाण पत्र।		
5.9	वाणिज्यिक कर विभाग का वैध पंजीयन/जी.एस.टी. पंजीयन		
5.10	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम–2006 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जारी अनुज्ञाप्ति प्रमाण पत्र।		
5.11	नगर निगम द्वारा जारी होटल संचालन का वैध लायसेंस		
5.12	संबंधित संस्थान के पैन कार्ड की छायाप्रति।		
5.13	विगत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) की आयकर विवरणी की पावती जो आयकर विभाग द्वारा जारी की गई हो की छायाप्रति। बैलेन्स शीट व प्रॉफिट व लॉस अकाउंट की छायाप्रति।		
5.14	निविदाकार संस्था को स्वयं का घोषणा पत्र देना होगा कि फर्म को विगत 03 वर्षों में किसी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड एवं उसकी संस्था पर किसी प्रकार का न्यायालयीन वाद तो नहीं है। प्रपत्र–4		
5.15	न्यूनतम पॉच वर्ष का पैकड लंच/ब्रुच एवं पैकड ब्रेक फास्ट की सेवाएँ प्रदान करने का अनुभव प्रमाण पत्र		
5.16	हस्ताक्षरित शपथ पत्र, प्रपत्र–2		
5.17	अंकेक्षित लेखों का सारांश, प्रपत्र–3		
04	निविदा प्रस्ताव—तृतीय लिफाफा (वित्तीय निविदा प्रपत्र–5)		

- (अ) निविदाकर्ता द्वारा संस्था की पदमुद्रा सहित स्वसत्यापित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ संलग्न की जावें।
 (ब) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों में अंकित न्यूनतम आवश्यक सेवाएँ होना अनिवार्य है, जिसके आधार पर निविदा मान्य की जावेगी।

म.प्र. लोक सेवा आयोग में आंमन्त्रित विशेषज्ञों हेतु पैकड़ लंच/ब्रुच एवं पैकड़ ब्रेक फास्ट
 की सेवाएँ प्रदाय करने हेतु
संविदा प्रपत्र-1

01	होटल/संस्थान/रेस्टोरेन्ट का नाम :—	
02	होटल/संस्थान/रेस्टोरेन्ट संचालक का पूरा नाम :—	
03	होटल/संस्थान/रेस्टोरेन्ट का पत्राचार का पूरा पता :—	
04	होटल/संस्थान/रेस्टोरेन्ट का दूरभाष क्रमांक :—	
05	होटल/संस्थान/रेस्टोरेन्ट का फैक्स क्रमांक :—	
06	होटल/संस्थान/रेस्टोरेन्ट की ई-मेल आई.डी.	
07	होटल/संस्थान/रेस्टोरेन्ट की वेबसाईट	
08	होटल/संस्थान/रेस्टोरेन्ट संचालक का मोबाइल नं. :—	
09	होटल/संस्थान/रेस्टोरेन्ट का सम्पूर्ण बैंक विवरण :— 01. बैंक खाता क्रमांक :— 02. बैंक का नाम :— 03. बैंक का पूरा पता :— 04. बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड :—	
10	होटल/संस्थान/रेस्टोरेन्ट का पैनकार्ड नं. :—	
11	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नं. :—	
12	होटल/संस्थान/रेस्टोरेन्ट का पंजीयन क्रमांक :— 01. नगर निगम :— 02. खाद्य विभाग :— 03. वाणिज्यिक कर विभाग :—	

13	<p>सुरक्षा निधि का सम्पूर्ण विवरण :—</p> <p>01. बैंक ड्राफ्ट की राशि :—</p> <p>02. बैंक ड्राफ्ट का क्रमांक एवं दिनांक :—</p> <p>03. राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम :—</p> <p>04. बैंक ड्राफ्ट की वैधता अवधि :—</p>	
----	--	--

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुरूप सत्य है। यदि उपरोक्त जानकारी गलत पायी जाती है अथवा तथ्यों के अनुरूप नहीं है तो मेरी निविदा प्रस्ताव को अमान्य कर दिये जाने अथवा अनुबंध निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक :..... नाम :.....

स्थान :..... पदमुद्रा :.....

नोट :— समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

[Signature]

प्रपत्र-2

शपथ पत्र का प्रारूप

(रु 50/- के गैर न्यायिक मुद्रांक/नोन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं पुत्र/पुत्री उम्र पता
.... शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ कि :-

1. मैं निविदाकर्ता होटल/संस्थान/रेस्टोरेन्ट (होटल/संस्थान/
रेस्टोरेन्ट का नाम) का ----- (एकल/स्वामी/साझेदार/संचालक/मैनेजर/
अधिकृत प्रतिनिधि) हूँ तथा यह होटल/संस्थान/रेस्टोरेन्ट वर्तमान में वैधानिक रूप से
पंजीकृत है, जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता है।

2. मैंने निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिया है तथा उसमें वर्णित समस्त
शर्तें मुझे तथा मेरी संरक्षा को मान्य है।

3. निविदा में वर्णित सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिये मेरे/मेरी होटल/संस्था के
पास समस्त आवश्यक वैधानिक अनुज्ञातियाँ पंजीकरण तथा स्वीकृतियाँ प्राप्त हैं।

4. मेरे/मेरी होटल/संस्थान/रेस्टोरेन्ट द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई सभी जानकारी
पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है कि किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने पर
मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त की जा सकती है तथा हमारे द्वारा जमा की गई¹
सुरक्षा निधि एवं परफॉरमेंस गारंटी आयोग द्वारा जब्त की जा सकेगी।

शपथगृहीता
स्थान नाम
दिनांक पता

1. गवाह नाम पता.....
2. गवाह नाम पता.....

सत्यापन

मैं निविदाकर्ता (होटल/संस्थान/रेस्टोरेन्ट का नाम)
..... (एकल/स्वामी/साझेदार/संचालक/मैनेजर/अधिकृत
प्रतिनिधि) हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित कं. 1 से लेकर 4. तक किये
गये कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य तथा प्रमाणित
है।

शपथगृहीता
स्थान नाम
दिनांक पता

1. गवाह नाम पता.....
2. गवाह नाम पता.....

प्रपत्र -3

अंकेक्षित लेखों का सारांश

(रु 100/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें)

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स.....पता.....
 के विगत तीन वर्षों के अंकेक्षित लेखों एवं आयकर विभाग को प्रस्तुत
 आयकर विवरणियों की जाँच मेरे द्वारा की गई है। अंकेक्षित लेखों के अनुसार निविदाकार का आवर्त
 (टर्नओवर) इस प्रकार है :—

क्र.	वर्ष	राशि (शब्दों में)	राशि (अंकों में)
1	2016–17		
2	2015–16		
3	2014–15		

टीप :— शब्दों एवं अंको में राशि में अंतर होने पर शब्दों की राशि को प्रमाणिक माना जाएगा।

उपर्युक्त आवर्त की गणनाएं मेरे द्वारा स्वयं जांची गई हैं। जिसे मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
 इंदौर की निविदा शर्तों के अनुसार वांछित शर्त के रूप में मैं प्रमाणित करता हूँ।

दिनांक :..... चार्टर्ड लेखाकार का नाम :.....

स्थान :..... फर्म की पदमुद्रा :.....

प्रपत्र -4

घोषणा पत्र

(ब्लैक लिस्ट एवं न्यायालयीन वाद नहीं होने के संबंध में)

मैं आत्मज

म.प्र. लोक सेवा आयोग में आंगन्वित विशेषज्ञों हेतु पैकड लंच/ब्रुच एवं पैकड ब्रेक फास्ट की सेवाएँ प्रदाय करने हेतु आयोग में निविदाकार हूँ। मैं यह घोषित करता हूँ कि हमारी होटल/संस्थान/रेस्टोरेन्ट को विगत तीन वर्षों में किसी भी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है और ना ही किसी न्यायालय में होटल/संस्थान/रेस्टोरेन्ट के गठन या कार्यों के संबंध में कोई वाद लंबित है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक : नाम :

रथान : पदमुद्रा :



म.प्र. लोक सेवा आयोग में आंमत्रित विशेषज्ञों हेतु पैकड लंच/बुंच एवं पैकड ब्रेक फास्ट की सेवाएँ
प्रदाय करने हेतु
वित्तीय प्रपत्र -05

निविदाकार का नाम होटल/संस्थान/रेस्टोरेन्ट का नाम
पूरा पता

स.क्र.	कार्य का विवरण	दर प्रति पैकड लंच/बुंच एवं पैकड ब्रेक फास्ट (समस्त दर व कर सहित)
01	पैकड लंच/बुंच (रोटी + दो सब्जी + दाल + चावल + दही/रायता + सलाद + एक मीठा + अचार + पापड) (सौंफ, सुपारी, लौंग एवं इलायची, इत्यादि अनिवार्य)	
02	पैकड ब्रेक फास्ट (बड़ा सांभर एक प्लेट नारियल चटनी के साथ (दो नग)/इडली सांभर एक प्लेट नारियल चटनी के साथ (दो नग)/मसाला डोसा/सादा डोसा/उत्तापम (एक नग)/फुट सलाद 200 ग्राम/सेण्डवीच एक प्लेट ग्रील्ड (दो नग)/बटर खिचड़ी 200 ग्राम दही के साथ/साबूदाना खिचड़ी 200 ग्राम दही के साथ/खम्मण 200 ग्राम)	
03	सादा दही-मीठा दही एवं छाँच 100 मिली./ग्राम	
04	बिस्कीट (नमकीन/मीठा) एक पैकेट (10 नग)	
05	कोल्ड ड्रिंक्स 250 एम.एल.	
06	मिनरल पानी बॉटल (आय.एस.ओ. सर्टिफायड कम्पनी) 200 ML	
07	मिनरल पानी बॉटल (आय.एस.ओ. सर्टिफायड कम्पनी) पानी बॉटल 500 ML	
08	मिनरल पानी बॉटल (आय.एस.ओ. सर्टिफायड कम्पनी) बॉटल 1000 ML	

नोट :- उक्त सामग्री की डिलीवरी आयोग कार्यालय में करना होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

फोन.नं. :

ई.मेल :

प्रपत्र-06
निरीक्षण समिति का मूल्यांकन पत्रक

संक्र.	आधार	अंकों का विवरण
01	किचन साफ-सफाई	
02	भोजन की गुणवत्ता	
03	पैकेजिंग क्वालिटी	
04	किचन स्टॉफ की साफ-सफाई	
05	रेस्पान्स टाईम	
कुल अंक :-		